

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/6523 /

जबलपुर, दिनांक 9/9/2023

IV-12-14/80 Pt VII-S

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 1 सितम्बर, 2012 के अनुसार कु. शिवानी सिंह राजपूत, निजी सहायक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर (वर्तमान में खण्डपीठ ग्वालियर में सेवायें संलग्न) को दिनांक 12/02/2023 से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल
महोदय के आदेशानुसार

सही/-
(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/6524 /

जबलपुर, दिनांक 9/9/2023

IV-12-14/80 VII Pt VII-S

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 3490/स्था. ग्वालियर, दिनांक 08.08.2023 के संदर्भ में कु. शिवानी सिंह राजपूत, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर का शपथ पत्र, बिजली बिल की छायाप्रति और प्रोटोकॉल अनुभाग से प्राप्त नोटशीट दिनांक 02.08.2023 की छायाप्रति वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. कु. शिवानी सिंह राजपूत, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर (वर्तमान में खण्डपीठ ग्वालियर में सेवायें संलग्न) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

